की हालत गम्भीर हो गई। अब उनकी हालत सुधर गयी है।

(ग) इस अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस के ध्यान में उक्त प्रकार की केवल एक ही घटना आई है।

गुजरात में वस्त्र मिलों का अधिग्रहण

1832. **श्री रामसिंहभाई पातलीयाभाई राठवा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कितनी वस्त्र मिलों का अधिग्रहण किया है ;

(ख) उनमें से कितनी मिलों का अधिग्रहण गुजरात सरकार नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन तथा गुजरात टैक्सटाइल्स कारपोरेशन ने किया ;

(ग) उन मिलों के नाम क्या हैं तथा किस-किस तारीख को उनका अधिग्रहण किया गया ;

(घ) उनके नवीकरण/मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ङ) उन मिलों की संख्या कितनी है जो (i) लाभ कमा रही हैं तथा (ii) कितनी मिलें घाटे में चल रही हैं तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान उनमें से प्रत्येक मिल को कितना-कितना लाभ और घाटा हुआ ;

(च) भविष्य में कितनी मिलों का अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव अथवा योजना है ;

(छ) क्या दिल्ली कलाथ मिल्स एवं देश में कुछ अन्य मिलों का अधिग्रहण किए जाने के लिए मांग प्राप्त हुई है ; और

(ज) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) संघ सरकार ने विगत तीन वर्षों में किसी भी वस्त्र मिल का प्रबंध अपने अधिकार में नहीं लिया है । केवल संघ सरकार की उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क के अंतर्गत वस्त्र मिलों का प्रबंध अपने अधिकार में ले सकती है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(च) जून, 1985 के वस्त्र नीति विवरण में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि रुग्ण एककों को सरकार द्वारा अधिकार में लेने या उनका राष्ट्रीयकरण करने से रुग्णता की समस्या का निवारण नहीं हो जाता और सरकार सामान्यतया ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

(छ) विगत हाल में अनेक राज्य सरकारों ने संबंधित राज्यों में स्थित कुछ रुग्ण सूती वस्त्र मिलों को अधिकार में लेने/राष्ट्रीयकरण करने के लिए संघ सरकार से अनुरोध किया है। दिल्ली कलाथ मिल्स के संबंध में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ज) ये अनुरोध तमिलनाडु सरकार से वसंत मिल, हरिमिल और जनार्दन मिल, कोयम्बतूर, पश्चिम बंगाल सरकार से श्री दुर्गा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, कोन्नागर, मध्य प्रदेश सरकार से सज्जन मिल, रतलाम आदि के बारे में प्राप्त हुए हैं।

संघ सरकार का उपर्युक्त भाग (च) में निर्दिष्ट कारणों से इन एककों में से किसी भी एकक को अधिकार में लेने/राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव नहीं है।

inquiry Commissions

1833. DR. BAPU KALDATE; "
SHRI M. S. GURUPADASWAMY;

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Inquiry Commissions appointed by

overnment recently have initiated ieir work/functions in sittings held » camera;

(b) whether und«!r the Commissions £ Inquiry Act^ 19 >2 every inquiry a,[1]! to be in open cc urt;

(c) if so, whether the functioning *I* the Justice Thaktcar and Justice "atrajan Commissio I has any legal motion as it worke I in camera; and

(d) if not, what c >uld be the legal ;atus of the recommendations of this ommission?

THE MINISTER OF STATE IN; HE MINISTRY Ol PERSONNEL, UBLIC GRIEVANCES AND PEN-IONS AND THE MINISTER OF TATE IN THE MINISTRY OF DME AFFAIRS (SHRI P. CHI-AMBARAM); (a) \s names of the ommissions have n(t been indicated,
is not possible to ; tate the position.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Under Rule 1A of the entral Commissionr, of Inquiry 'rocedure) Rule, 1960, the Commis-on may sit in public or in private j it thinks fit; provided that the Com-ission shall sit in private on a te-iest being made ly the Central overnment in tlu t behalf thus ere is no illegality if the Commis-MI of Inquiry chooses to sit in ca-era.

बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिये

1834. श्रीमती . रेणुका चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अप्रैल, 1987 के "इंडियन एक्सप्रेस" में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिमी बंगाल के कुछ बांग्ला देश से घुसपैठियों के आने में सहायता कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विस्तृत तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस विषय में अब तक की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) हाल में किये गये सर्वेक्षण में, यह ध्यान में आया है कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के कुछ स्कूलों में कुछ विद्यार्थियों ने गलत तरीकों से प्रवेश लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार को तुरन्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। मामले के महत्व पर विचार करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमावर्ती जिलों में घुसपैठिये विद्यार्थियों द्वारा स्कूलों में प्रवेश लेने को रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल के माध्यम से कदम उठाये हैं।

Ex gratia payment to Riot Victims ia Delhi

1835. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) wbat is the number of November, 1984 riot victims in Delhi who have been given ex-gratia payment alongwith thefr riames and amount paid; and

(b) how many cases are stil^ pending and how much time is expected to be taken for their disposal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) and (to) In 2277 cases Rs. 20,000/-each has been paid to the next of the kin of the persons who died during November, 1984 riots. In 148 cases Rs; 10,000/- each has been paid since claimants did not collect their cheques for the balance amount. Similarly in 2 cases payment of Rs. 20,000/- is yet to be collected by the claimant.

In 2602 cases of injufcy, ex-gratia amount has been paid to the victims of November, 1984 riots subject to maximum of Rs. 2,000/-.